

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 579]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 10 दिसम्बर 2014—अग्रहायण 19, शक 1936

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2014

क्र. 23746-वि.स.-विधान-2014.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 24 सन् 2014) जो विधान सभा में दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २४ सन् २०१४

मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) विधेयक, २०१४

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. धारा ६ का संशोधन.
३. धारा ३३ का स्थापन.
४. धारा ४१ का संशोधन.
५. धारा ५३ का स्थापन.
६. धारा ५४ का संशोधन.
७. धारा ५९ का संशोधन.
८. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २४ सन् २०१४

मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) विधेयक, २०१४

मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, १९५८ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) विधेयक, २०१४ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा.

धारा ६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, १९५८ (क्रमांक २५ सन् १९५८) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ६ में, उपधारा (३) में, अंत में आने वाले पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“परंतु यदि उपधारा (२) के अधीन आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से विहित कालावधि के भीतर निरीक्षक द्वारा कोई विपरीत आदेश पारित नहीं किया जाता है तो सम्यक् रूप से पंजीयन कर दिया गया समझा जाएगा.”.

धारा ३३ का स्थापन.

३. मूल अधिनियम की धारा ३३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

आग तथा परिसंकोटों से बचाव के लिए पूर्वोपाय.

“३३. ऐसी स्थापना या स्थापनाओं की श्रेणी को छोड़कर, जो कि विहित की जाए, प्रत्येक स्थापना में आग से बचाव के लिए ऐसे पूर्वोपाय तथा कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अध्येपाय किए जाएंगे जैसे कि विहित किए जाएं.”.

धारा ४१ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ४१ में, उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात् :—

“(३) उपधारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी निरीक्षक श्रम आयुक्त या उसके द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किसी अधिकारी की अनुज्ञा के सिवाय किसी ऐसी स्थापना में अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा जहां कि दस से कम कर्मचारी नियोजित हैं.”.

धारा ५३ का स्थापन.

५. मूल अधिनियम की धारा ५३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

अपराध का समझौता.

“५३. इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, इस निमित्त राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधधीन रहते हुए, प्रथम बार या पूर्व के अपराध के (यदि कोई हो), कारित किए जाने से दो वर्ष की कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् कारित किसी अपराध का या तो अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या उसके पश्चात्, समझौता शुल्क के रूप में उतनी धन राशि, जो जुर्माने की अधिकतम धन राशि से अधिक न हो परन्तु जो जुर्माने की अधिकतम धनराशि के आधे से कम न हो, जितनी कि वह उचित समझे, वसूल करने के पश्चात्, समझौता करा सकेगा; जब अपराध का समझौता—

(एक) अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व, कराया जाता है तो अपराधी अभियोजन का दायी नहीं होगा और यदि अभिरक्षा में है तो स्वतंत्र कर दिया जाएगा;

(दो) अभियोजन संस्थित किए जाने के पश्चात् कराया जाता है तो समझौते से अपराधी दोषमुक्त हो जाएगा.”.

६. मूल अधिनियम की धारा ५४ में, अंत में आने वाले पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और धारा ५४ का उसके पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात् :— संशोधन.

“परंतु सरकार, आदेश द्वारा, ऊपर विहित प्ररूपों के बदले पंजियों तथा अभिलेखों को रखने के लिये समेकित प्ररूप बना सकेगी या अधिसूचित कर सकेगी :

परंतु यह और कि सरकार पंजियों तथा अभिलेखों का कम्प्यूटरीकृत या डिजिटल रूपविधान (फार्मेट) में संधारित किया जाना, अनुज्ञात कर सकेगी.”.

७. मूल अधिनियम की धारा ५९ में, उपधारा (२) में, खण्ड (ड) में, शब्द “आग से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानी” के स्थान पर “आग तथा परिसंकरों से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानी” स्थापित किए जाएं. धारा ५९ का संशोधन.

८. (१) मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक ७ सन् २०१४) एतद्वारा निरसित किया जाता है. निरसन तथा व्यावृत्ति.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई, बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, १९५८ (क्रमांक २५ सन् १९५८) की धारा ६ की उपधारा (३) में स्थापना के पंजीयन के लिए उपबंध अधिकथित है किंतु ऐसे पंजीयन को जारी किए जाने के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं है और इसलिए ऐसे आवेदनों को संबंधित कार्यालय में अनिश्चित कालावधि के लिए हमेशा लंबित बनाए रखने की संभावनाएं बनी रहती हैं. ऐसी प्रक्रियात्मक कमी को दूर करने और पंजीयन प्रक्रिया में परिदर्शिता बनाए रखने के दृष्टि से एक परंतुक जोड़ा जाना प्रस्तावित है ताकि यदि आवेदन सभी दृष्टि से पूर्ण है तो अधिनियम के अधीन पंजीयन विहित समय-सीमा के भीतर प्रदान किया गया समझा जाएगा.

२. यह देखा गया है कि वर्तमान में, अधिनियम, दुकानों तथा स्थापनाओं में, विशेषतः मॉल तथा विभागीय भण्डारों (डिपार्टमेंटल स्टोर्स) में नियोजित कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कोई उपबंध विहित नहीं करता है. अतएव, धारा ३३ में, कर्मचारियों के हित में ऐसे स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अध्यापय अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है.

३. यह भी प्रस्तावित है कि ऐसी दुकानों तथा स्थापनाओं का, जो कि १० से कम कर्मचारियों को नियोजित कर रही हैं, श्रम आयुक्त अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण नहीं किया जा सकेगा. यह उपबंध छोटी स्थापनाओं को बारंबार तथा अनावश्यक निरीक्षणों से बचाएंगे तथा निरीक्षणकर्ता कर्मचारीवृन्द के बीच पारदर्शिता बनाए रखने में सहायता करेंगे. अतः, धारा ४१ में नवीन उपधारा (३) जोड़ा जाना प्रस्तावित है.

४. उपबंधों के भंग का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों के समझौते के लिए उपबंध भी प्रस्तावित किए गए हैं. समझौते के लिए ऐसे किसी सामान्य उपबंध के अभाव के कारण विभिन्न न्यायालयों में, बड़ी संख्या में अभियोजन के प्रकरण लंबित हैं जो कि शासकीय मशीनरी, साथ ही नियोजक के बहुमूल्य समय की खपत का कारण बनते हैं.

५. इसी प्रकार सभी ऐसी स्थापनाओं को, उन्हें यथा प्रयोज्य विभिन्न श्रम विधियों के अधीन उपस्थिति, भुगतान, अतिकाल आदि की बहुत सी पंजियां रखनी होती हैं. उन्हें प्रतिवर्ष समुचित प्राधिकारियों के समक्ष बहुत सी विवरणियां भी फाइल करनी होती हैं. ऐसे उपबंधों से प्रक्रियात्मक जटिलताएं होती हैं तथा एक ही कार्य को दो बार करना पड़ता है और स्थापनाओं के नियामक प्राधिकरणों से शोषण का खतरा सदैव बना रहता है. ऐसी प्रक्रियात्मक जटिलताओं तथा कार्य के अनावश्यक दोहराव को कम करने की दृष्टि से, और उसके द्वारा नियोजक को नियामक प्राधिकरणों के शोषण से बचाने के लिए धारा ५४ में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं. नियोजकों के लिए कागज रहित तथा पर्यावरण हितैषी उपबंध भी प्रस्तावित है. अतः नियोजकों को एकीकृत पंजियां तथा अभिलेख रखने की

आवश्यकता है, वह भी इलेक्ट्रानिक या डिजिटल रूप में, जिसमें कि कम जनशक्ति की आवश्यकता होती है तथा विभिन्न जानकारियों की एक स्थान पर अभिलेखों के एक या दो रूपों में उपलब्धता सुनिश्चित होती है।

६. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) अध्यादेश २०१४ (क्रमांक ७ सन् २०१४) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था। यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान सभा का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाए।

७. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल:

तारीख ५ दिसम्बर, २०१४.

अंतर सिंह आर्य

भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित”

भगवानदेव ईसरानी

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) विधेयक, २०१४ के निम्नांकित खण्डों द्वारा विधायनी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा रही हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

- खण्ड १ (२) :** अधिनियम को प्रभावशील किए जाने की तिथि अधिसूचित किए जाने;
- खण्ड २ :** आवेदन प्रस्तुत करने की कालावधि नियत करने;
- खण्ड ३ :** आग से बचाव के लिए पूर्वोपाय तथा कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी अध्यापय सुनिश्चित किए जाने, तथा
- खण्ड ५ :** पंजियों एवं अभिलेखों को समेकित, कम्प्यूटरीकृत करने एवं इस निमित्त अधिकारी को प्राधिकृत किए जाने के संबंध में नियम बनाए जाएंगे। उक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप के होंगे।

अध्यादेश के संबंध में विवरण

१. अधिनियम के अधीन पंजीयन विहित समय-सीमा के भीतर प्रदान करने, कर्मचारियों के हित स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की व्यवस्था करने, १० से कम कर्मचारियों को नियोजित करने वाली स्थापनाओं में निरीक्षण नहीं करने अपराधों के समझौता करने, एकीकृत पंजीया तथा अभिलेख रखने तथा इलेक्ट्रानिक तथा डिजिटल रूप में अभिलेख रखने के उद्देश्य से यह अध्यादेश पारित किया गया था।

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक ७ सन् २०१४) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था। अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान सभा का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाए।

भगवानदेव ईसरानी

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.